

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)
पीठासीन अधिकारी—

श्री प्रकाश चन्द पवन
आई.ए.एस.

मिसल संख्या:
144/अपील/2017

तारीख दायरा
13.04.2017

तारीख निर्णय
22.09.2017

रामनारायण आ0 रामकिशन जाति, गुर्जर निवासी ग्राम सियाणा तहसील
हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान) — अपीलांत

— बनाम —

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज0)
— रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 29.11.2016
नायब तहसीलदार, दबलाना
अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :-

अपीलांत की ओर से — श्री अब्दुल रईस, अभिभाषक।
रेस्पोंडेन्ट की ओर से — परोकार सरकार

—: निर्णय :-

यह अपील नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्त ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्त को आराजी खसरा नम्बर 128 रकबा 04 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम सियाणा तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 400/- रुपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्त व परोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांत ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय साइक्लोस्टाइल प्रपत्र में सुनाया गया है। जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलान्त को सुनवायी का अवसर



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary sources, as well as the specific statistical techniques employed to interpret the results. The goal is to provide a comprehensive overview of the research methodology.

The third part of the document presents the findings of the study. It highlights the key trends and patterns observed in the data, along with any significant correlations or anomalies. The author also discusses the implications of these findings for the field of study.

Finally, the document concludes with a summary of the main points and a list of references. This provides a clear and concise overview of the entire study, as well as a list of the sources used in the research.

Handwritten mark or signature

नहीं दिया गया है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि से निर्णय के पश्चात कब्जा छोड़ दिया है। वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करेगा। अपीलान्ट ने पैनाल्टी की राशि भी जमा करा दी गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।


परोकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा सुनवाई का अवसर भी दिया गया है। अपीलान्ट को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया था फिर भी दुबारा अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्ट ने अतिक्रमित भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है। कब्जा छोड़ने बाबत् पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट भी पत्रावली में नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह चरागाह भूमि है। जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि उसने विवादित भूमि से कब्जा छोड़ दिया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अतिक्रमण छोड़ने बाबत् पटवारी या भू अभिलेख निरीक्षक आदि की कोई रिपोर्ट या अन्य तथ्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत् नोटिस दिया है तथा सुनवाई का अवसर भी दिया गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस अपीलान्ट को दिया गया है उसमें पश्चातवर्ती अतिक्रमी बाबत् कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में अतिक्रमी को पश्चातवर्ती बताया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में पूर्व निर्णय की पालना में अपीलान्ट को मौके से बेदखल किये जाने बाबत् गत निर्णय व बेदखल किये जाने की रिपोर्ट की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है, न ही अधीनस्थ न्यायालय ने द्वितीय अतिचार बाबत् कोई स्वतंत्र साक्ष्य ली गई है। जिससे अपीलान्ट का द्वितीय अतिचार प्रमाणित होता हो। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्ट को विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सिविल कारावास की सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी गई है। इस आशय की पालना रिपोर्ट अपीलान्ट मय शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत करेगा तथा अधीनस्थ न्यायालय उक्त पालना रिपोर्ट की वस्तुस्थिति की जांच कर व मौका देखकर पालना से



पूर्ण सन्तुष्ट होने पर कि अपीलान्त ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है और जुर्माना जमा करा दिया है तो सिविल कारावास की सजा निरस्त समझी जावे। यदि अपीलान्त उक्त पालना प्रस्तुत करने व वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ने में असफल रहता है तो विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल सजा कारावास यथावत रहेगी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
आदेश आज दिनांक 22.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(प्रकाश चंद पवन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)

